10 COURT FEES 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUP[EES] 5 COURT FEES 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

174

C-F-R-15/-2

न्यायालय सक्षम राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक: /2000निगरानी- 1501- PBR/ 2000

R-1501-PBR/2000

श्री एस.के. द्वारा आज दि. 14-8-2000 को प्रस्तुत।

अंडर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

14 AUG 2000

§1§ सत्यनारायणसिंह
§2§ कैलाशसिंह
§3§ रमेशसिंह
पुत्रगण श्री रूस्तमसिंह
§4§ रूस्तमसिंह पुत्र हरकिशानसिंह
निवासी-ग्राम पीपरी तहसील
अटेर, जिला-भिण्ड §म०प्र०§
------ आवेदकगण

बनाम

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.1.07 के अनुसार नाम कट क्रमांक 2 हरदु का कोई वैध वारिसान बोध नहीं होने से निवासी सैरी से अनुक्रम 2 का नाम काट दिया जाता है।

§1§ सिरनामसिंह पुत्र मंगलसिंह
§2§ हरदू पुत्र गंजू लोधी,
निवासीगण ग्राम नरहेरा, तह सेवढ़ा
जिला-दतिया §म०प्र०§
----- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के विरूद्ध द्वारा अनुक्रमांक पारित आदेश दिनांक 1.6.2000 प्रकरण क्रमांक 40/97-98/अ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर.

====0===

माननीय न्यायालय,

आवेदकगणों की प्रार्थना निम्न प्रकार है कि -

प्रकरण के तथ्य :

---

§1§ यह कि, ग्राम नरहेरा की भूमि कुल किता 4 रकबा 3.59 मेरे नाना के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी । नाना की मृत्यु उपरांत उक्त विवादित भूमि मुझे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त हुई थी ।

§2§ यह कि, उक्त विवादित भू-भाग के समय में आवेदकगण नाबालिक थे और उनको कानूनी प्रक्रिया एवं किसी प्रकार की कार्यवाही से आवेदकगणों को अवगत नहीं कराया गया था । और न ही कोई सूचना एवं तामील न्यायालय द्वारा आवेदकगणों को भेजा गया था ।

यह कि, जब मेरे सरपरस्त पिता रूस्तमसिंह द्वारा विचारण न्यायालय में धारा-32 का आवेदन दिया जो विचार किए बिना ही आवेदन को

निरंतर----2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1501–पीबीआर/2000 जिला–दतिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–11–16	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदकगण सूचना उपरांत विगत कई पेशिओं से अनुपस्थित । अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/1997–98/अ में पारित आदेश दिनांक 01–06–2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय की सूचना दिनांक 02.04.97 को हो चुकी थी एवं अपील अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में दिनांक 10.03.97 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार 97 दिन में अपील प्रस्तुत की गई । अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब तो हुआ है किन्तु समय–समय पर विभिन्न वरिष्ठ	

न्यायालयों द्वारा समयावधि के मामले में सहानुभूमि का रूख अपनाये जाने के न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुये समयावधि में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मान्य की गई है। आवेदक का यह कहना है कि उसे विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह कथन अमान्य है, क्योंकि विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक विचारण न्यायालय में पक्षकार था। आवेदक ने इस न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायलय में भी ऐसा कोई ठोस प्रमाण अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे की यह सिद्ध हो सके की वह हितबद्ध पक्षकार है। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक ने दिनांक 27.07.75 को विक्रय पत्र को आधार बताया है, उसी विक्रय पत्र के संबंध में उसेने अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा में प्रस्तुत अपील मेमों में यह स्वीकारोक्ति की है कि इस विक्रय पत्र के आधार पर पूर्व में नामांतरण किया जा चुका था, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्णय देने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया था। तहसीलदार द्वारा पुनः कार्यवाही करते हुये दिनांक 07.04.85 को निरस्त किया जाकर पुनः भूमि स्वामी अनावेदक क्र0 2 हरदू का नाम अंकित कर दिया गया। अर्थात् स्पष्ट है कि दिनांक 27.12.75 के विक्रय पत्र के आधार पर पूर्व में किया गया नामांतरण दिनांक 07.04.85 को निरस्त किया जाकर पुनः भूमिस्वामी अनावेदक क्र0 2 जो कि वर्तमान प्रकरण में मृत है का नाम अंकित किया गया था। नामांतरण पंजी में यह

नामातरण दिनांक 02.03.94 के विक्रय–पत्र के आधार पर किया गया है। पूर्व में जब आवेदक के हक में किया गया नामांतरण एक बार निरस्त किया जा चुका था एवं इस आदेश की कोई अपील नहीं होने के कारण आदेश अंतिम हो चुका था तक पुनः 02.03.94 के विक्रय7पत्र के आधार पर किये जानें वाले नामांतरण में वह कैसे हितबद्ध पक्षकार हो गया है, यह स्पष्ट करने में असफल रहा है, और न ही अपने पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किया है। ऐसे में अनुविभागीय अधिकारी, सेंवढ़ा का धारा–32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त करना उचित एवं तर्क संगत है। अपर आयुक्त ग्वालियर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अपने विस्तृत आदेश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं विरोपरांत उचित निष्कर्ष निकालते हुये आवेदक की अपील को निरस्त किया है। मैं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश से सहमत हूँ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त ग्वायिलर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–06–2000 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवैदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य